अत्यावश्यक
पंचायत उप निर्वाचन–2025

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक–प0नि0 30–23/2025 2655
प्रेषकः–

शंभु कुमार,
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
बिहार।

पटना, दिनांकः– 11.6.25

विषयः– पंचायत उप निर्वाचन, 2025 हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु सभी निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, आई.टी. से संबंधित पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं यथा नामांकन प्रक्रिया, मतदान प्रबंधन, ई.वी.एम. की जानकारी, मतगणना एवं विभिन्न आई.टी ऐप की जानकारी हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। यह प्रशिक्षण विडियो कॉन्फ्रेसिंग (BSWAN) के माध्यम से ऑन–लाईन निम्न कार्यक्रम के अनुरूप निर्धारित की गई हैः–

तिथि एवं समय	प्रमण्डल	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पदाधिकारी
13.06.2025 02:00 PM to 04:00 PM	पटना, मगध, सारण, तिरहुत,	निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, आई.टी. से संबंधित पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी।
13.06.2025 04:00 PM to 06:00 PM	दरभंगा, कोशी, पूर्णियाँ, मुंगेर, भागलपुर	

विदित हो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त पदाधिकारी जिला स्तर पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण के Resource Person होंगे। इस क्रम में इनके द्वारा जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का अतिरिक्त समूह भी तैयार किया जाएगा। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने–अपने जिलान्तर्गत प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित करेंगे कि निर्वाचन से संबद्ध सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को छोटे–छोटे समूह में ससमय एवं गुणवतापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रशिक्षण के क्रम में ई.वी.एम संचालन की हैन्डस ऑन ट्रेनिंग अधिक से अधिक दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए, संबंधित पदाधिकारी को आयोग स्तर से निर्धारित ऑन–लाईन प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांकः–2655/ पटना, दिनांकः–11.6.25/

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांकः–2655/ पटना, दिनांकः–11.6.25/

प्रतिलिपिः– सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।